

क्या बैंकरप्सी कोड में नहिति है एनपीए समस्या का समाधान?

सन्दर्भ

पछिले कुछ सालों से शायद ही कोई ऐसा सप्ताह गुजरा होगा, जब सरकार के किसी न किसी नयामक ने एनपीए की लाइलाज बनती जा रही बीमारी के उपचार के लिये बैंकों को एक नई दवा पलाने की कोशिश न की हो। ऐसा इसलिये है, क्योंकि उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हुई एनपीए जनति समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। फरि भी सोचने का वषिय यह है कि आखिर क्यों एनपीए की समस्या ज्यों कित्त्यों बनी हुई है। ऐसे समय में 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016' (दवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016) की भूमिका बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है। हालाँकि इस संबंध में हम लोगों के सममुख दो यक्ष प्रश्न खड़े हैं, पहला यह कि बैंकरप्सी कोड 2016 क्या है और दूसरा यह कि बैंकरप्सी कोड कैसे एनपीए समस्या के समाधान से जुड़ा हुआ है? इस आलेख में एक-एक करके हम दोनों ही प्रश्नों के उत्तर ढूँढने का प्रयास करेंगे साथ ही हम नयामकों द्वारा जारी नए अनुदेशों से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधान की भी बात करेंगे।

क्या है 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016' ?

- वदिति हो कि विगत वर्ष केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दशा में कदम उठाते हुए एक नया दवालायिपन संहिता संबंधी वधियक पारति कया था।
- गौरतलब है कि यह नया कानून 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेन्सी एक्ट' और 'प्रोवेशियल इन्सॉल्वेन्सी एक्ट 1920 को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लमिटिड लाइबलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूरिटीजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दवालायि हो सकते हैं। यदि कोई आर्थिक इकाई दवालायि होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्तिया फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य परताडनाओं से गुजरना पड़ता है। देश में अभी तक दवालायिपन से संबंधित कम से कम 12 कानून थे जिनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं।

कैसे एनपीए समस्या का समाधान कर सकता है बैंकरप्सी कोड 2016?

- जब कोई देनदार अपने बैंक को अपनी देनदारियाँ चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो, तब उसके द्वारा लया गया ऋण नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) कहलाता है। नयामों के हिसाब से जब किसी ऋण राशिका मूलधन या ब्याज़ तय अवधि के 90 दिन के भीतर नहीं आता है तो, उसे एनपीए में डाल दया जाता है।
- अर्थात् यदि किसी ऋण से बैंक को रटिर्न मलिना बंद हो जाता है, तब वह उसके लिये एनपीए या बैड लोन हो जाता है। कई बार ऋणी दवालायि हो जाता है, ऐसे में बैंक उसकी परसिम्पत्तियों को बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।
- वदिति हो कि बैंकरप्सी कोड 2016 के अनुसार किसी ऋणी के दवालायि होने पर आसानी से उसकी परसिम्पत्तियों को अधिकार में लया जा सकता है।
- नए कानून के हिसाब से, यदि 75 प्रतिशत ऋणदाता सहमत हों तो ऐसी कोई कंपनी, जो अपने ऋण नहीं चुका पा रही, पर 180 दिनों (90 दिन के अतिरिक्त रयायती काल के साथ) के भीतर कार्रवाई की जा सकती है।
- यदि तब भी वसूली नहीं हो पाती तो, वह फर्म या व्यक्ति स्वयं दवालायि हो जाएंगे। नए कानून के लागू होने से ऋणों की वसूली में अनावश्यक देरी और उससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकेगा।
- ऋण न चुका पाने की स्थिति में कंपनी को अवसर दया जाएगा कि वह एक निश्चित कालखंड में अपने ऋण को चुका दे, अन्यथा स्वयं को दवालायि घोषति करे। यदि कोई ऋणी दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की सज़ा का भी प्रावधान है।

नयामकों द्वारा जारी नए अनुदेश

- ध्यातव्य है कि हाल ही में सेबी ने कहा है कि ऐसी कंपनियों जो 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016' के प्रावधानों के तहत परसिम्पत्तियों का अधगिरहण कर रही हैं, उन्हें ओपेन ऑफर दायित्वों से मुक्त कया जा सकता है, जोकि आमतौर पर भारतीय अधगिरहण नयामों के तहत लागू होती है।
- हाल ही में अधयादेश के माध्यम से बैंकिंग अधनियिम में संशोधन के द्वारा रजिर्व बैंक को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और रजिर्व बैंक ने इन्ही शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुदेश जारी कया है कि 12 ऐसे बैंक खाते, जिनका कुल एनपीए में करीब 25 प्रतिशत का योगदान है, अब बैंकरप्सी कोड के हवाले कयि जाते हैं, यानी उन्हें दवालायि घोषति कर उनके परसिम्पत्तियों को बेचने का काम आरम्भ कया जाएगा।

समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

- रजिर्व बैंक द्वारा एनपीए से भरे पड़े खातों का आगे बढ़कर बैंकरप्सी कोड के हवाले कया जाना यह दखाता है कि वह इस समस्या के प्रति गम्भीर है,

हालाँक यह प्रयास भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान चरित्र को समझने में असफल रहा है। वदित्तिर हो कविर्तमान में इस्पात, वदियुत् और टेक्सटाइल उद्योग मंदी के दौर से गुज़र रहा है। मान लया जाए कबैंकरप्सी कोड के तहत इन 12 खातों से संबंघ रखने वाली कंपनयों को दवालया घोषति कर दया जाता है और उनकी परसिम्पतयों को बेचने की प्रक्रया शुरू की जाती है तो, समस्या यह है कभंदि की आंधी के साथ बह रही इन कम्पनयों की परसिम्पतयों को उचति दामों पर खरीदेगा कौन?

- जैसा कहिम जानते हैं कभारत में अधकिंश कंपनयों पर उनके संस्थापक प्रमोटरों का दबदबा बना रहता है। यदबैंक का ऋण चुकाने में असमर्थ कसिी कंपनी के प्रबन्धन का दायत्वि बैंकों पर छोड़ा जाता है, तो उन्हें यह भी अधकिार मलिना चाहयि कविं संबंघति कम्पनी के प्रमोटरों को कुछ हद तक नयित्तरति कर सके? लेकनि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कर्ज़िरव बैंक का प्रमोटरों पर कोई नयित्तरण नहीं है। अतः उसके द्वारा जारी अनुदेश उन पर लागू नहीं होता है।

क्या हो आगे का रास्ता?

सरकार को चाहयि वह ऋणी कंपनयों की परसिम्पतयों को बेचने संबंघी मामलों में बैंकों को और अधकि स्वायत्ता प्रदान करे। बैंक बाज़ार को ध्यान में रखते हुए बकिरी योग्य परसिम्पतयों का मूल्य तय कर सकें, कयोंक कुछ न मलिने से यह बेहतर है ककुछ भी मलि जाए।

- एनपीए की गंभीर होती समस्या को ध्यान में रखते हुए, कंपनयों के प्रमोटरों की भूमिका भी नश्चिती करनी चाहयि। यह रेखांकति करना होगा कप्रमोटरों को बैंकों द्वारा कसि सीमा तक नयित्तरति कया जा सकता है?
- वदिति हो कबैंकरप्सी कोड के तहत 'नेशनल कंपनी लॉ ट्रबियूनल' द्वारा कसिी भी कंपनी को दवालया घोषति करने के लयि प्रस्तावति कया जाएगा और ऋण वसूली में भी ट्रबियूनल की अहम् भूमिका होगी। जैसा की हम जानते हैं कबिड़ी संख्या में कंपनयों डफाल्टर साबति हो रही हैं ऐसे में इनसे प्रभावी ढंग से नपिटने के लयि ट्रबियूनल को और अधकि सशक्त बनाना होगा।

नश्चिक्ष

कसिी कारोबारी द्वारा बैंकों का कर्ज़ चुकता न कयि जाने से न सरिफ बैंकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कदेश की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होती है। सार्वजनकि क्षेत्तर के बैंकों और वत्तितीय संस्थाओं के नुकसान की भरपाई अंततः सरकारी खज़ाने से करनी पड़ती है। यह खज़ाना देश की सामूहकि आय, नागरकिों द्वारा दयि गए कर और बचत की राशा से बनता है। अतः यदएनपीए समस्या का समाधान बैंकरप्सी कोड में नहिती है तो हमें उपरोक्त बातों का ध्यान रखना होगा।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/is-bankruptcy-code-intrumental-npa-problem>

